

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से

वृन्दावन योजना संख्या-4

सेक्टर-13 लखनऊ

में जी+3 टाइप के

दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के

चार मंजिले भवनों का

पंजीकरण प्रारम्भ

पंजीकरण अवधि
05.01.2017 से
28.02.2017 तक



प्रमुख स्थलों से निकटतम दूरी



अमौली एयरपोर्ट
8 किमी.

हजरतगंज
5 किमी.

पीजीआई
1 किमी.

चारबाग रेलवे स्टेशन
8 किमी.

राहीदपथ
1 किमी.

गोमतीनगर
5 किमी.

हमारा प्रयास सबका आवास

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

वृन्दावन योजना संख्या-4 सेक्टर-13 लखनऊ में
जी+3 टाइप के चार मंजिले भवनों का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	कारपेट एरिया (वर्ग मी.)	सुपर प्लिन्थ एरिया (वर्ग मी.)	प्रस्तावित भवनों की संख्या	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य प्रति नग (रु. लाख)	पंजीकरण धनराशि सामान्य वर्ग	पंजीकरण धनराशि आरक्षित वर्ग
1.	दुर्बल आय वर्ग	27.00	39.40	480	11.50	25,000	12,500
2.	अल्प आय वर्ग	40.00	59.40	480	21.25	50,000	25,000

नोट :- दुर्बल आय वर्ग हेतु अधिकतम वार्षिक आय रु. 3 लाख तथा अल्प आय वर्ग हेतु अधिकतम वार्षिक आय रु. 6 लाख।

नोट :- भू. प्रथम एवं द्वितीय तल के भवनों का मूल्य उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मूल्य से क्रमशः 3, 2 तथा 1 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

विशेष आकर्षण

- 15 वर्ष की 180 सब्बाज मासिक किरातों में।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को लीड बैंक से नियमानुसार सब्सिडी की सुविधा।
- भूकम्परोधी निर्माण।
- उत्तरेठिया स्टेशन के समीप पूर्ण विकसित क्षेत्र में स्थित।

पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक

- युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया: 36/51, सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ। फोन: 0522-2622116
- 4, कलकत्ता क्लाइ हाउस के ऊपर, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ। फोन: 0522-3964921, 3964923
- महावीर पुष्पा देवी पाण्डेय काम्प्लेक्स, निकट डेन्टल कालेज, रायबरेली रोड, लखनऊ। मो: 9198573585
- बैंक ऑफ बड़ौदा: 9 बी, वृन्दावन योजना, निकट आवास एवं विकास परिषद ऑफिस काम्प्लेक्स, लखनऊ। मो: 7565008686
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया: हजरतगंज, लखनऊ। फोन: 0522-2230852

- नोट: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 73, एम0जी0 रोड, हजरतगंज, लखनऊ में आवंटि द्वारा सीधे आवेदन किया जा सकता है। पात्रता के अनुसार बैंक द्वारा नियमानुसार सब्सिडी दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकरण पुस्तिकाएँ प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग से रु. 300/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने पर रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा।

पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुविधा केन्द्र के नंबरों पर सम्पर्क करें

1800-180-5333 (टोल फ्री)

0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सेवायुक्त प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ.

वेबसाइट: <http://www.upavp.com> ई-मेल: info@upavp.com

सर्वोच्च कक्षा गृह IS 15700



सर्वोच्च कक्षा गृह IS 15700